345

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक / 2017 R 1317- I-17

श्री आर-एम- वैगरा द्वारा आज दि. 4-5-17 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 4-5-17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

अमित राव पुत्र दयालचन्द्र , ग्राम बिलवार हल्का देवपुर तहसील बडा मलहरा जिला छतरपुर म.प्र.

.... आवेदक

बनाम

1. गया प्रसाद राव तनय प्यारेलाल राव निवासी बिलवार तहसील बडा मलहरा जिला छतरपुर म.प्र.
2. म.प्र. शासन

.... अनावेदगकण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता न्यायालय तहसीलदार बडा मलहरा जिला छतरपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 78अ–3/ 2013–14 आदेश दिनांक दिनांक 12.08.2014 के विरूद्व निगरानी प्रस्तुत है।

श्रीमानजी,

आवेदक की ओर से निगरानी निम्न तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत है :–

1. यहकि, अनावेदक गयाप्रसाद द्वारा सर्वे क्रमांक 442/ 2, 486/ 2 663/ 2 /2, 712/ 2/ 2 , 713/ 2 , 714/ 2/2 रकवा 5. 844 हेक्टर स्थित ग्राम विलबार की भूमि का नक्शा तरमीम हेतु तहसीलदार बडा मलहरा जिला छतरपुर के समक्ष दिनांक 27.5. 2014 को आवेदन प्रस्तुत किया उक्त आवेदन में सर्वे नं. 715 का कोई उल्लेख नही किया गया और ना ही उक्त सर्वे नम्बर का

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ 2

प्रकरण क्रमांक- निग.- 1317-एक/2017 जिला- छतरपुर

अमित राव विरूद्ध गया प्रसाद राव व शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
09-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री आर.एस. सेंगर उपस्थित। आवेदक अभिभाषक द्वारा तहसीलदार बड़ा मलहरा, जिला-छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 78/अ-3/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 12-08-2014 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 04-05-2017 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवतृत होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथा संशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उनहें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. तहसीलदार, जिला-छतरपुर के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अतः उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर छतरपुर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।	

5. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 27-02-2019 को इस आदेश की सत्यापित प्रतिलिपि लेकर कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में प्रस्तुत हो।

6. उक्त कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन) 09/1/19
सदस्य